प्रेषिका,

श्रीमती अंजली पाण्डेय,
सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी०,
महिलाओं के विरूद्ध अपराध,
फैजाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
फैजाबाद।

विषय- पति के व्यवसायिक भ्रमण हेतु आवेदिका को विदेश यात्रा किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 16/IVF-101/ADMIN(A)/Dated-21-05-2017 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि आवेदिका के पति व्यवसायिक कार्य हेतु दुबई भ्रमण पर जा रहे है। उक्त भ्रमण में आवेदिका भी उनके साथ ग्रीष्मकालीन अवकाश में 5 दिन 4 रात्रि दिनांक- 02-06-2022 से 06-06-2022 तक जाना चाहती है, उक्त विदेश यात्रा में लगभग दो लाख रूपये मेरे पति के व्यय होगें। आवेदिका की यह प्रथम विदेश यात्रा है परन्तु पूर्व में दिनांक 04-10-2021 को आवेदन किया गया था जो कि स्वीकृत किया जा चुका था। आवेदिका किसी व्याक्तिगत कार्य के पड़ जाने के कारण यात्रा पर नहीं जा पायी थी। अतएव श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदिका को विदेश यात्रा हेतु माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति प्रदान कर संसूचित करने की कृपा करें।

दिनांक- 25/3/22

भवदीय

Anjali 25/3/22

सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी०,
महिलाओं के विरूद्ध अपराध,
फैजाबाद।